



पी एम - उदय

प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी
दिल्ली आवास अधिकार योजना

राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लगभग
8 लाख सम्पत्तियों को मालिकाना हक दिया जा रहा है

भारत सरकार ने दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मकान/प्लॉट का
मालिकाना हक देने के लिए पीएम-उदय योजना 29 अक्टूबर 2019 से आरंभ की है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों की सम्पत्तियों का मालिकाना हक।
- कनवेंस डीड / ऑथोराइज़ेशन स्लिप के आधार पर मकानों / प्लाटों (निजी भूमि) की पक्की रजिस्ट्री।
- बैंकों एवं वित्ती संस्थानों द्वारा इन मकानों / प्लाटों (निजी भूमि) पर लोन मिल सकेगा।
- अनधिकृत कॉलोनियों का पुनः निर्माण एवं मूल भूत सुविधाएं बेहतर हो सकेगी।

आवेदकों की सुविधा के लिए डी.डी.ए की 10 प्रोसेसिंग केन्द्र एवं उसके विस्तारित केन्द्र विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, डी.डी.ए द्वारा निजी एजेंसियों को निर्धारित फीस के साथ पंजीकरण और आवेदन में सहायता करने हेतु एम्पैनल किया गया है, ये हैं :— एम.आर.एफ.एस.: 9911360259 / 70, सिटी एसोशियट्स: 9310991678, ऐस इनोवेटर्स प्रा.लि.: 9717111000, ईपैसिफिक टेकनोलॉजिस प्रा.लि. 9599107471, स्पेक्ट्रम प्लानिंग (इंडिया) लिमिटेड, 9811144662.

आवेदक आवेदन पर प्राप्त डेफिशियेंसी या कमियों को दूर करने के लिए भी इन एजेंसी की मदद ले सकते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आई.एन.ए. नई दिल्ली

योजना की अन्य विशेषताएः

- केंद्र सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को सर्किल रेट पर न लगाकर कनवेंस डीड / ऑथराइजेसन स्लिप के एमाउंट पर लगाने हेतु कानून बनाया है।
- अब स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क डी.डी.ए. को दिए गए प्रभारों पर लगेंगे जो कि सर्किल रेट के मुकाबले में बहुत कम है।
- इस योजना के तहत पुराने / पहले के ट्रांजेक्शन पर कोई स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।
- सर्किल रेट से कम दाम पर रजिस्ट्री होने के बावजूद, अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों को इसके चलते कोई अलग से आय वृद्धि नहीं होगी व न ही कोई अतिरिक्त आयकर देना होगा।

जरूरी दस्तावेज़:

आवेदक के पास अनधिकृत कॉलोनियों में सम्पत्ति के संबंध में पंजीकृत विक्रय विलेख (Registered Sale Deed) अथवा पंजीकृत दान-पत्र (Registered Gift Deed) अथवा नवीनतम मुख्तारनामा (General Power of Attorney), बिक्री करार (Agreement to Sell), कब्जा पत्र और धनराशि (Amount) के भुगतान के साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों सहित अन्य विविध दस्तावेजों जिसके आधार पर वास्तविक कब्जा हो।

आवेदन की प्रक्रिया:

- आवेदन:** आवेदक डी.डी.ए. के वेबसाइट पर पंजीकरण और आवेदन करेंगे तथा पंजीकरण पर्जी में सूचीबद्ध किसी जी आई एस एजेंसी से जियो कोऑर्डिनेट्स (Geo-Coordinates) व प्लॉट के नक्शे के लिए संपर्क करेंगे। विस्तृत विवरण डी.डी.ए. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- जांच:** डी.डी.ए. के अधिकारी अपलोड किये गए कागजातों की जाँच एवं मकान/प्लॉट का निरीक्षण करके कनवेंस डीड / ऑथराइजेसन स्लिप हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
- भुगतान:** आवेदक पोर्टल पर दर्शाए गए निर्धारित प्रभारों (Charges) का भुगतान ऑनलाइन भुगतान गेटवे अथवा चालान के माध्यम से करेंगे। आवेदक चाहे तो प्रभार का भुगतान तीन समान किश्तों में भी कर सकते हैं।
- कनवेंस डीड / ऑथराइजेसन स्लिप जारी करना:** सभी मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद डी.डी.ए. प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा सरकारी भूमि पर स्थित निर्मित सम्पत्ति के लिए कनवेंस डीड व निजी भूमि व उसपर स्थित निर्मित सम्पत्ति के लिए ऑथराइजेसन स्लिप जारी की जाएगी।

विशेष जानकारी एवं पंजीकरण / आवेदन की प्रक्रिया डी.डी.ए. की वेबसाइट **dda.gov.in** या **pmuday.ncog.gov.in** पर जाकर आवेदक स्वयं पूरा कर सकते हैं या डी.डी.ए. की नजदीकी प्रोसेसिंग केन्द्र एवं उसके विस्तारित केन्द्र की सहायता ले सकते हैं।